कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

Web: www.ssmcrewa.com — फैक्स न. 07662–251167
E-mail: deanmcrewa@rediffmail.com — फोन न. 07762–241655

क्रमांक ....स्था. / अराज. / एम.सी. / 2022 — रीवा, दिनांक ....

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ –2 / 57 / 2018 / 55–1, भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2018 में किये गए प्रावधानों के अनुसार एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति एवं अदल–बदल के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदान करने हेतु ''म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर–शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018'' के उपनियम 10(अ) के तहत् तथा दिनांक 11.07.2022 को चयन समिति की अनुशंसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 02 में उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 03 में उल्लेखित अभ्यार्थी को उसके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर वेतनमान 19500–62000 (लेवल–04) न्यूनतम वेतन 19500 / – पर तथा समय–समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहायक वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये कर्मचारी के एवज में नियुक्त किये जाने वाले अभ्यार्थी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 03 में दर्शाये गये अभ्यार्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	चयनित श्रेणी
01	*02*	*03*	*04*	*05*
1.	दीपक पाल, सहायक वर्ग–3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, चिकित्सा महा. रीवा	महेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक वर्ग–3 श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया, चिकित्सा महा. शिवपुरी	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	अनारक्षित

नियुक्ति की शर्ते :–

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **30 दिवस** के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज–02

4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारण किया जावेगा।
7. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान **रूपये 19500–62000 (लेवल–04)** में न्यूनतम वेतन रूपये–19500/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
8. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोडने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. नियुक्त व्यक्ति ''म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965'' एवं ''म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018'' के अधीन शासित होंगे।
10. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
12. नियुक्त व्यक्ति को 50/–रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
13. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आहरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

<u>नोट :–</u> प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

//

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमशः पेज–03

क्रमांक 16149-57/स्था./अराज./एम.सी./2022 रीवा, दिनांक 21/7/22

प्रतिलिपि :–

1. अपर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकरी एवं अधिष्ठाता, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 – 2210 –01– 110 – 1353 – 0101 – 42 – 002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
8. संबधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/– का ट्रेजरी चालान हेड–0210–03–200–0000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

20/7/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)